



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 283) पटना, मंगलवार, 12 मई 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

24 सितम्बर 2019

सं० 949—श्री शिव मंदिर, ग्राम—मधुसुदनपुर, फकिराना, पो0—दुबहा, अंचल—सकरा, जिला—मुजफ्फरपुर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—4446 है।

अंचलाधिकारी, सकरा का प्रतिवेदन दिनांक—25.01.2016, रेवेन्यु इन्द्राज से स्पष्ट है कि थाना संख्या—936 और 935 की कुल भूमि 12.43 एकड़ एवं 0.75 डी0 जमीन जो महंत ईश्वर गिरि के नाम से इन्द्राज है, जो शिव मंदिर के महंथ थे तथा संचिका पर उपलब्ध मंदिर के फोटोग्राफ से भी स्पष्ट होता है कि वर्तमान में भी ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर सुरक्षा रंग—रोहन आदि कर मंदिर को सुरक्षित किया गया है। कुछ व्यक्तियों द्वारा मंदिर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

इस न्यास के सम्यक संचालन हेतु एक न्यास समिति के गठन के लिए आम सभा की बैठक दिनांक 21.02.2017 को श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, पूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गयी, जिसमें न्यास समिति गठन हेतु 11 व्यक्तियों का चयन किया गया। प्रस्तावित सूची पर्षद को दिनांक—19.06.2017 को उपलब्ध करायी गयी। पर्षदीय पत्रांक—1522 दिनांक—30.10.2017 द्वारा उक्त सूची को थानाप्रभारी, पूसा को प्रस्तावित नामों के चरित्र सत्यापन हेतु भेजी गयी।

संबंधित थाना द्वारा नामों का चरित्र सत्यापन कर पर्षद को दिनांक—17.07.2019 को उपलब्ध कराया गया, इसमें किसी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं पाने की बात लिखी गई।

पर्षदीय पत्रांक—1565 दिनांक—04.11.2017 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर से भी न्यास समिति गठन वास्ते ग्यारह सदस्यों के नामों की सूची माँगी गई थी, जो अबतक अप्राप्त है।

उपर्युक्त परिस्थिति में प्रस्तावित 11 सदस्यों की सूची में से एक श्री शम्भु राय को अध्यक्ष, श्री कृतनारायण मेहता को उपाध्यक्ष तथा अनुमंडल पदाधिकारी को सचिव तथा श्री गणेश राय, को कोषाध्यक्ष, शेष अन्य श्री सत्य प्रकाश मेहता, श्री उदर कुमार शर्मा, श्री रामबाबु, श्री अजीत कुमार, श्री रंजीत कुमार, श्री अरविन्द कुमार एवं श्री विरेन्द्र राय को सदस्य के रूप में मान्यता दी जाती है। श्री शिव मंदिर, फकिराना न्यास मुजफ्फरपुर के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत एक विस्तृत योजना का निरूपण एवं इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक नवीन न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं०—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री शिव मंदिर, फकिराना की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है और इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री शिव मंदिर, फकिराना न्यास योजना होगा”** तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“श्री शिव मंदिर, फकिराना न्यास समिति होगी”** जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
 2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
 3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
 4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
 5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत्त एवं देह शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।
 6. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तारण, बदलैन, बिक्र तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग का अधिकार नहीं होगा। ऐसा वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा।
 7. न्यास समिति न्यास की चल एवं अचल सम्पत्ति को अधिग्रहित व अतिक्रमित होगई हो, को मुक्त कराने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
 8. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
 9. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
 10. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
 11. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्विरों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
 12. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।
 13. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-
- | | | |
|---|---|------------|
| 1. श्री शम्भु राय पिता स्व० महेन्द्र राय,
ग्राम-मूरा हरलोचनपुर, पो०-मालपुर अग्रैल, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर | — | अध्यक्ष |
| 2. श्री कृतनारायण मेहता पिता स्व० द्वारिका मेहता,
ग्राम-मूरा हरलोचनपुर, पो०-मालपुर अग्रैल,
थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर | — | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर | — | पदेन सचिव |
| 4. श्री गणेश राय पिता श्री राम लगन राय,
ग्राम-धुसुदनपुर माल, पो०-दुबहा, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर | — | कोषाध्यक्ष |
| 5. श्री सत्य प्रकाश मेहता पिता स्व० राम परीक्षण मेहता,
ग्राम-मूरा हरलोचनपुर, पो०-मालपुर अग्रैल, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर | — | सदस्य |
| 6. श्री उदय कुमार शर्मा पिता राम सकल शर्मा,
ग्राम+पो०-मलिकौर, थाना-पुसा, जिला-समस्तीपुर | — | सदस्य |
| 7. श्री रामबाबू सिंह पिता श्री लालधारी सिंह,
ग्राम-नुरा मोहनपुर, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर | — | सदस्य |
| 8. श्री अजीत कुमार पिता महेन्द्र प्रसाद सिंह,
ग्राम-चैनपुर, पो०-धोवा गाँव, थाना-पुसा, जिला-समस्तीपुर | — | सदस्य |
| 9. श्री रंजीत कुमार पिता स्व० शिव नारायण सिंह,
ग्राम-मधुसुदनपुर, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर | — | सदस्य |
| 10. श्री अरविन्द्र कुमार पिता श्री सोनेलाल राय,
ग्राम-रायपुर, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर | — | सदस्य |
| 11. श्री विरेन्द्र राय पिता स्व० विन्दा राय, ग्राम-रायपुर,
थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर | — | सदस्य |

इस इस न्यास समिति का कार्यकाल आदेश की तिथि से (05) पाँच वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यों की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 283-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>